झारखंड राज्य और अन्य

बनाम

मानशु कुम्भकर

सितंबर 17,2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और डी. के. जैन, जे. जे.]

सेवा कानून-सेवा की समाप्ति - इस आधार पर कि नियुक्ति अवैध थी और प्रक्रिया का पालन किए बिना बनाया गया था-उच्च न्यायालय ने इस आधार पर समाप्ति को दरकिनार कर दिया कि इसी तरह की समाप्ति स्थित कर्मचारी को एक अन्य मामले में अलग रखा गया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालय का आदेश टिकाऊ नहीं है-एक अन्य कर्मचारी के मामले में निर्भरता को गलत समझा गया था क्योंकि उसकी बर्खास्तगी को देरी के आधार पर दरकिनार कर दिया गया था -

नियुक्ति अवैध साबित होने के बाद, किसी अन्य मामले में की गई गलती को वर्तमान मामले में कायम नहीं रखा जा सकता है।

प्रशासनिक द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किए बिना शिक्षा उप निदेशक द्वारा कक्षा III और IV के पद पर नियुक्तियां की गईं। उत्तरदाता नियुक्त किए गए लोगों में से एक था। प्रत्यर्थी का मामला था कि विज्ञापन

के साथ-साथ साक्षात्कार पत्र भी जारी किया गया था। राज्य का मामला यह था कि वही मनगढ़ंत थे क्योंकि इन दोनों तिथियों के लिए प्रेषण रजिस्टर में कोई सी. एन. टी. आर. नहीं था। राज्य द्वारा अवैध नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। प्रत्यर्थी ने रिट याचिका दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को प्राधिकरण के समक्ष नए सिरे से प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया और संबंधित प्राधिकारी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। जाँच के बाद यह पाया गया कि सभी नियुक्तियाँ अवैध थीं। प्रत्यर्थी के साथ-साथ अन्य की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। प्रत्यर्थी ने इसे चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर बर्खास्तगी को रद्द कर दिया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक एल. पी. ए. में समान रूप से स्थित कर्मचारी 'एस' की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. एकल न्यायाधीश के आदेश को, जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा बनाए रखा गया है, कायम नहीं रखा जा सकता है। 'एस' के मामले में पारित आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा रिलायंस को पूरी तरह से गलत समझा गया था। उनके मामले में एल. पी. ए. देरी के

आधार पर बर्खास्त कर दिया गया। अन्यथा भी, केवल इसलिए कि एक मामले में गलती की गई थी, उस गलती को बनाए रखने के लिए कोई तर्कसंगत नहीं है, भले ही वह अवैध रूप से अस्वीकार्य हो। कार्यकारी निर्देशों के संदर्भ में, निर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाई जानी थी। [पारस 11 और 8] [1076-ई; 1072-एफ]

2. तत्काल मामले में, मानदंड किसी भी नियम द्वारा नहीं बल्कि द्वारा तय किए गए हैं यहाँ तक कि चयन करने के लिए कोई भी उचित रूप से गठित समिति। वह स्थिति जो नियुक्ति पत्र के साथ-साथ विज्ञापन जारी किया गया था, जब प्रेषण रजिस्टर से प्रविष्टियों को नोट किया जाता है तो स्पष्ट रूप से नकारात्मक हो जाता है। [पैरा 6] [1072-बी, सी]

अश्विनी कुमार और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य। , [1997] 2 एससीसी 1 और सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य। वी. उमादेवी (3) और अन्य। [2006] 4 एस. सी. सी. 1, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2007 की सिविल अपील सं. 4310

2003 के एल. पी. ए. सं. 861 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के 10.01.2005 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से बी. बी. सिंह और कुमार राजेश सिंह।

उत्तरदाताओं की ओर से अजीत कुमार सिन्हा।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था

1. अनुमति दे दी गई।

2. इस अपील में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः एक मिस सूरज मणि खाल्को, ने उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किए बिना तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर कई नियुक्तियां दिनांक 3.12.1980 के निर्देश से कर दी, ऐसी नियुक्तियों के लिए कार्यालय में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, जैसे कि विज्ञापन, रोजगार विनिमय की मांग, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पैनल तैयार करने के लिए विभिन्न जिला स्तरों के अधिकारी और तीन अधिकारी की समिति। प्रत्यर्थी के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 4.6.1993 पर विज्ञापन जारी किया गया था और 12.7.1993 पर साक्षात्कार पत्र जारी किए गए थे। अपीलार्थियों के अनुसार ये सभी सुश्री सूरज मणि खाल्को द्वारा हस्ताक्षरित थे और मनगढ़ंत और जाली दस्तावेज थे और विभाग द्वारा कभी जारी नहीं किए गए थे, जो प्रेषण रजिस्टर से प्रकट होता है। 16.9.1993 पर नियुक्ति पत्र कथित रूप

से जारी किया गया था और प्रतिवादी ने 21.9.1993 पर शामिल होने का दावा किया था, लेकिन उसे अपना वेतन नहीं दिया गया था। इसके कुछ दिनों बाद मिस सूरज मणि खाल्को द्वारा की गई अवैध नियुक्तियों को सरकार ने रद्द कर दिया गया। प्रतिवादी ने वर्ष 1995 में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को सभी सामग्रियों यानी नियुक्ति पत्र आदि के साथ प्राधिकरण के समक्ष नए सिरे से प्रतिनिधित्व दायर करने के निर्देश के साथ अपने दिनांक 28-8-1995 के आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही 21.9.1993 से अब तक स्वीकृत देय राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था। प्रत्यर्थी ने कोई अभ्यावेदन दाखिल नहीं किया जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर सी. डब्ल्यू. जे. सी. 3878/1995 में, उपायुक्त को जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। 10.4.1997 की रिपोर्ट के अनुसार, उपायुक्त ने सभी नियुक्तियों को अवैध पाया। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उत्तरदाता श्री संजय कुमार और तीन अन्य की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। प्रतिवादी ने सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.829/1998 दाखिल किया। कई बर्खास्त कर्मचारियों ने रिट याचिकाएं दायर कीं जिन्हें उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि नियुक्तियां भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन थीं क्योंकि वे आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए

बिना की गई थीं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि संजय कुमार को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार नियुक्त किया गया था। उपरोक्त के रूप में दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया गया था।

4. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंड, उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सिर्फ इसलिए कि किसी और ने नियुक्ति की अनुमति दी थी, जो यह दावा करने का आधार नहीं हो सकता कि गलत को कायम रखा जाना चाहिए। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिनांक 3.12.1980 निर्धारित मानदंडों के आधार पर, विशिष्ट तौर-तरीकों का पालन करने की आवश्यकता थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संजय कुमार के मामले में एल. पी. ए. को देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था और इसलिए, इसका पालन नहीं किया जाना चाहिए था। इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य में दिया गया है। वी. उमादेवी (3) और अन्य। , [2006] 4 एस. सी. सी. 1 ने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश नियमितीकरण के लिए आदेश पारित नहीं कर सकते थे।

5. जवाब में, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि यह नहीं है नियमितीकरण का मामला। एक विज्ञापन था, एक रिक्ति थी, चयन पैनल का विधिवत गठन किया गया था और इसलिए, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. तत्काल मामले में, मानदंड किसी भी नियम द्वारा तय नहीं किए गए हैं, लेकिन प्रशासनिक निर्देशों द्वारा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी का रुख यह है कि प्रतिवादी को रोजगार विनिमय द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था। कोई विज्ञापन नहीं था और चयन करने के लिए कोई उचित रूप से गठित समिति भी नहीं थी। यह रुख कि नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, स्पष्ट रूप से तब नकार दिया जाता है जब प्रेषण रजिस्टर से प्रविष्टियों को नोट किया जाता है। उत्तरदाता के अनुसार साक्षात्कार पत्र 12.7.1993 पर जारी किए गए थे और विज्ञापन 4.6.1993 पर जारी किया गया था। इन दोनों तिथियों के लिए प्रेषण रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं है। विवरण उत्तरदाता शपथपत्र के पी-9 के साथ संलग्न हैं।

7. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या में दिनांकित 4.9.1996 आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया-

> "एक खुलासा करने वाला तथ्य सामने आया है कि इसका लाभ उठाते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जैसा

कि अनुलग्नक-5 से 8 में उल्लिखित है, यह प्रत्यर्थी संख्या 4 सरकारी धन को बर्बाद कर रहा है और प्राप्त कर रहा है क्षेत्रीय उप निदेशक से जारी पिछले दिन का नियुक्ति पत्र शिक्षा विभाग, उत्तर छोटानागपुर प्रभाग, हजारीबाग, अब सेवानिवृत्त जिला स्थापना समिति की जानकारी के बिना, जिसकी सभापति उपायुक्त होता है।"

8. संजय कुमार के मामले में पारित आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा रिलायंस मामला (ऊपर) पूरी तरह से गलत था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एल. पी. ए. को देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। अन्यथा भी, केवल इसलिए कि एक मामले में गलती की गई थी, उस गलती को बनाए रखने के लिए कोई तर्कसंगत नहीं है, भले ही वह अवैध रूप से अस्वीकार्य हो। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्यकारी निर्देशों के संदर्भ में, निम्नलिखित प्रक्रिया होनी थी -

"6. अन्य श्रेणी के 4 पदों पर जिला रोजगार आदान-प्रदान के माध्यम जहां तक संभव हो स्थानीय क्षेत्रों से नियुक्तियां की जाएंगी। क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति के लिए केवल एक पैनल जिला स्तर पर तैयार किया जाएगा जो एक साल के लिए प्रभावी होगा, जिला अधिकारी व्यापक प्रचार करेंगे, आवेदनों के लिए विज्ञापन बुलायेंगे

और आवेदनों की जांच करेंगे। प्रत्येक आवेदक अपने पंजीकरण क्षेत्र/जिला विनिमय को उद्धृत करेगा। यदि किसी कारण से जिला रोजगार अधिकारी उसके नाम की सिफारिश नहीं करें तो कलेक्टर पंजीकरण संख्या के आधार पर उसका आवेदन स्वीकार कर लेगा और आवेदन पर विचार करेगा और जिला मजिस्ट्रेट आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति के लिए रोजगार विनिमय द्वारा अनुशंसित सूची की जांच करेंगा।

7. ऐसे पदों पर भर्ती के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेटों और ऐसी समिति के सदस्यों की अध्यक्षता में जिला कल्याण अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी और विभिन्न जिला स्तर में कार्यरत जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा नामित तीन वरिष्ठ अधिकारी और जिला स्तरीय विकास कार्य विभाग के दो अधिकारि होंगे। चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक जिले में उपयुक्त उम्मीदवारों की एक अंतिम सूची कमेटी द्वारा बनायी जायेगी जो वित्तीय वर्ष में मई माह तक बनानी होगी और उस वित्तीय वर्ष में किसी भी कार्यालय में नियुक्ति उस सूची के अनुसार होगी। जहाँ तक चालू वित्त

वर्ष का संबंध है, यदि उपयुक्त उम्मीदवार की सूची को ज्ञापन No.10747 दिनांकित 20 जुन को ध्यान में रखते हुए पहले से ही तैयार किया गया है, तो चालू वर्ष में भर्ती उसी सूची के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कोई सूची उक्त ज्ञापन के अनुसार तैयार नहीं की गई है, तो जिला स्तरीय कमेटी 31 दिसम्बर 1980 तक ऐसी सूची तैयार करें। जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए 15 फरवरी, 1981 तक संलग्न प्रारूप में एक विस्तृत बयान प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा की गई नियुक्तियों के संबंध में भेजे। अगले वित्तीय वर्ष हेतु उक्त प्रक्रिया अनुसार नियुक्तियों के लिए तैयार की गई सूची दिनांक 15 जुलाई 1981 तक कार्मिक विभाग को भेजी जानी चाहिए।"

9. अश्विनी कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य [1997] 2 एससीसी 1 के पैरा 13 और 14 में उल्लेख किया गया हैः

"13. जहाँ तक इन कर्मचारियों की नियमितीकरण का सवाल है जिनका प्रवेश अपने आप में अवैध और शून्य था, तो यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति की पुष्टि या नियमितीकरण का प्रश्न

उत्पन्न होगा यदि संबंधित उम्मीदवार को अनियमित रुप से या एड होक आधार पर किसी रिक्त पद के विरुद्घ नियुक्त किया जाता है, जो पद सेंक्शन है। लेकिन यदि लेकिन अगर प्रारंभिक प्रविष्टि ही अनधिकृत है और किसी भी स्वीकृत रिक्ति के खिलाफ नहीं है, तो ऐसी गैर-मौजूदा रिक्ति पर पदधारी को नियमित करने का सवाल कभी भी विचार के लिए नहीं रहेगा और भले ही ऐसा कथित नियमितीकरण या पुष्टि दी जाती है कि तो भी यह स्वयं में एक निरर्थक अभ्यास ही होगा। यह एक मृत बच्चे को सजाने के बराबर होगा। इन परिस्थितियों में उन्हें नियमित करने या उन्हें वैध पुष्टि देने का कोई अवसर नहीं था। इन कर्मचारियों की पुष्टि करने का तथाकथित अभ्यास शून्य ही रहेगा ।

XXX XXX XXX

जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि, डॉ. मलिक द्वारा की दिहाड़ी मजदूरों के संबंध में की गई नियुक्तियां प्रारंभ से ही अवैध थीं, तो ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने का कोई सवाल ही नहीं था और न ही उन्हें कोई अधिकार दिया गया था क्योंकि योजना के तहत उपलब्ध स्पष्ट रिक्तियों

पर उनकी पुष्टि नहीं की गई थी। यह किसी की समझ से परे है कि कैसे 2500 स्वीकृत रिक्तियों के खिलाफ 6000 कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता था। पूरा अभ्यास एक अनधिकृत साहसिक कार्य के दायरे में रहा और इस शून्य से कुछ भी नहीं निकल सकता था।

XXX XXX XXX

शून्य को शून्य से गुणा करने पर शून्य बना रहता है। नतीजतन, संबंधित अधिकारियों द्वारा संबंधित समय पर जारी निर्देशों के आधार पर डॉ. मलिक द्वारा उन्हें जारी किए गए इन पुष्टिकरण आदेशों से अपीलकर्ताओं द्वारा कोई सहायता नहीं ली जा सकती है। यह पिछले दरवाजे की प्रविष्टियों को नियमित करना होगा, जो शुरुआत से ही दूषित थे।

XXX XXX

चाहे वे पद हों या रिक्तियां, उन्हें बजटीय प्रावधानों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें योजना के अनुमेय बुनियादी ढांचे में शामिल किया जा सके। कोई भी नियुक्ति जो बजटीय अनुदान को कम करती है और एक गैर-मौजूदा रिक्ति पर है, स्वीकृत योजना के बाहर होगी

और पूरी तरह से अनधिकृत रहेगी। इस तरह के काल्पनिक या छाया के पदधारी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

14. इस संबंध में यह ध्यान रखना उचित है कि किसी भी सरकारी सेवा सहित किसी भी सेवा में नियमितीकरण का प्रश्न यह दो आकस्मिकताओं में उत्पन्न होता है। सबसे पहले, यदि किसी भी उपलब्ध रिक्तियों पर लंबी अवधि की नियुक्तियां किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदर्थ आधार या दैनिक वेतन के आधार पर की जाती हैं और समय-समय पर जारी रखी जाती हैं और यदि यह पाया जाता है कि संबंधित पदाधिकारी किसी कृत्रिम अवकाश के साथ या बिना किसी कृत्रिम अवकाश के लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं, और उनकी सेवाएं अन्यथा उन्हें नियुक्त करने वाली संस्था द्वारा आवश्यक हैं, तो ऐसे कर्मचारियों के सेवा जीवन में एक समय आ सकता है जो उन्हें नियमित करने के लिए दिए गए पर्याप्त समय के लिए तदर्थ आधार पर बने रहते हैं ताकि संबंधित कर्मचारी कार्यकाल की सुनिश्चित सुरक्षा प्राप्त करके अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। लेकिन इसके लिए एक पूर्व शर्त की आवश्यकता होगी कि ऐसे कर्मचारी का प्रारंभिक प्रवेश इस तरह की प्रविष्टि को नियंत्रित करने वाले नियमों

और विनियमों का पालन करते हुए उपलब्ध स्वीकृत रिक्ति के खिलाफ किया जाना चाहिए। दूसरे प्रकार की स्थिति जिसमें नियमितीकरण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, वह तब होगी जब एक उपलब्ध रिक्ति के खिलाफ कर्मचारी के प्रारंभिक प्रवेश को प्रक्रियात्मक अभ्यास में कुछ दोष का सामना करना पड़ा हो, हालांकि नियुक्त करने वाला व्यक्ति ऐसी प्रारंभिक भर्ती को प्रभावित करने में सक्षम है और अन्यथा ऐसी भर्ती के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया है। एक सक्षम प्राधिकारी और अनियमित प्रारंभिक द्वारा प्रारंभिक नियुक्ति में ऐसी अनियमितता को माफ करने के लिए प्रशासनिक आवश्यकता की आवश्यकता के आलोक में एक आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। नियुक्ति नियमित की जा सकती है और कार्यकाल की सुरक्षा संबंधित पदधारी को उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन ऐसे मामले में भी प्रारंभिक प्रविष्टि को पूरी तरह से अवैध या ऐसी भर्ती को नियंत्रित करने वाले सभी स्थापित नियमों और विनियमों की घोर अवहेलना नहीं पाया जाना चाहिए। किसी भी मामले में ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए पिछले दरवाजे से प्रविष्टियों से सख्ती से बचना होगा। हालाँकि, किसी ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति को नियमित करने का कोई अवसर

कभी नहीं आएगा जिसकी प्रारंभिक प्रविष्टि अपने आप में दूषित है और भर्ती की आवश्यक प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन है और विशेष रूप से जब कोई रिक्ति नहीं है जिस पर उम्मीदवार की ऐसी प्रारंभिक प्रविष्टि कभी भी प्रभावित हो सकती है। एक कर्मचारी की इस तरह की प्रविष्टि शुरू से ही दागी रहेगी और इस तरह के अवैध प्रवेशकर्ता को नियमित करने का कोई सवाल ही नहीं है। विचार के लिए कभी भी जीवित रहेगा, चाहे भर्ती एजेंसी कितनी भी सक्षम क्यों न हो। अपीलार्थी इस बाद के वर्ग के मामलों में आते हैं। नियमितीकरण के लिए कोई मामला नहीं था और उनके पक्ष में जो भी कथित नियमितीकरण किया गया था, वह व्यर्थ में एक अभ्यास बना रहा। इसलिए, अपीलार्थियों के विद्वान वकील डॉ. मलिक द्वारा उनके पक्ष में पारित नियमितीकरण के आदेशों से न्यायसंगत रूप से पीछे नहीं हट सके। अन्यथा भी ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था। यहां तक कि यह पत्र भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पदों को भरने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। इन सभी संचारों के बावजूद न तो प्रारंभिक नियुक्तियाँ और न ही पुष्टि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके की गई

थी। इसके विपरीत कानून द्वारा ज्ञात भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए सभी प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप इसका स्पष्ट उल्लंघन हुआ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) दोनों प्रारंभिक चरण के साथ-साथ इन अवैध प्रवेशकों की पुष्टि के चरण में हैं। तथाकथित नियमितीकरण और पुष्टि पर प्रारंभिक अवैध और अमान्य कार्यों को छिपाने या उन भ्रष्ट तरीकों को बनाए रखने के लिए ढाल के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता था जिनके द्वारा इन 6000 प्रारंभिक प्रवेशकों को डॉ. मलिक द्वारा योजना में शामिल किया गया था। इन सभी कारणों से, इसलिए, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत होना संभव नहीं है कि किसी भी मामले में इन कर्मचारियों को दी गई पुष्टि ने उन्हें भविष्य में सेवाओं से बर्खास्तगी के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की। इसके विपरीत डॉ. मलिक द्वारा 6000 कर्मचारियों की इस सेना को योजना के तहत लाकर बनाए गए सभी जाली जालों को बंद, स्टॉक और बैरल से मुक्त करना पड़ा ताकि जनता को इस पर विश्वास हो सके। सरकारी प्रशासन ध्वस्त नहीं होगा और मनमाना कार्रवाई पवित्र नहीं होगी।"

10. इस निर्णय का उल्लेख उमा देवी के मामले (ऊपर) के पैरा 31 में किया गया था।

11. उपरोक्त स्थिति में, विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश, जो कि डिवीजन बेंच द्वारा बनाए रखा था, कायम नहीं रखा जा सकता है।

12. लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति दी जाती है। अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी निर्मल जगमोहन शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।